प्रेषक,

विमल चन्द्र चौधरी
अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, झाँसी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 374 /न0म0झाँ0/अधी0अभि0/झाँसी/2026–27/दिनांकः 27 अप्रैल, 2026

विषयः– ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की "अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–02/न0म0झाँ0/अधी0अभि0/झाँसी/2026–27" के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की "अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–02/न0म0झाँ0/अधी0अभि0/झाँसी/2026–27" की 6 प्रतियाँ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि इनका प्रकाशन हिन्दी के राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर के कम से कम दो समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।
(6 प्रतियाँ पेनड्राइव सहित)

(विमल चन्द्र चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांकः– 374 /न0म0झाँ0/अधी0अभि0/झाँसी/2026–27/तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य अभियन्ता (नलकूप–दक्षिण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
2. आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ **(सी0डी0 सहित)।**
4. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ मण्डल सिंचाई कार्य, झाँसी/सिंचाई निर्माण मण्डल, झाँसी/अनुसंधान नियोजन मण्डल, झाँसी।
5. जिलाधिकारी, झाँसी।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
7. अधिशासी अभियन्ता डाल नहर खण्ड, झाँसी।
8. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम, उरई/अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, उरई/अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, उरई।
9. नोटिस बोर्ड हेतु।

(विमल चन्द्र चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, झाँसी

–:: अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–02/न0म0झाँ0/अधी0अभि0/झाँसी/2026–27 ::–

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्न लिखित कार्यों हेतु ऑनलाईन **http://etender.up.nic.in** के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत कार्यों में दक्ष एवं अनुभव रखने वाले ठेकेदारों/प्रतिष्ठानों से निविदा दिनॉक 14.05.2026 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी Prequalification Bids दिनॉक 14.05.2026 को अपरान्ह 1.00 बजे, Technical Bids दिनॉक 14.05.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तथा Financial Bids दिनॉक 17.05.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, झाँसी के कार्यालय कक्ष में समिति/निविदादाताओं के समक्ष ऑनलाईन खोली जायेंगी। ई–निविदा को दिनॉक 05.05.2026 के पूर्वान्ह 10.00 बजे से डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह निविदा अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

लॉट सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित धनराशि (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य की अवधि	टेण्डर प्रपत्र का मूल्य (जी0एस0टी0 एवं स्टेशनरी चार्जेज सहित) (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	5	6	7	8	9
01	"Construction of CC Lining in Parichha Minor from 1st VRB to 3rd VRB of Badagaon Pump Canal, District–Jhansi under Project for Renovation of Badagaon Pump Canal Water Distribution System, Situated in Block– Badagaon/Chirgaon, District – Jhansi **(as per BOQ)"**	41.46	0.83	120 दिन	2354.00	सिविल में "बी" श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी का रजिस्ट्रेशन
02	Construction of CC Lining in Parichha Minor from 3rd VRB to 1.30 km of Badagaon Pump Canal, District–Jhansi under Project for Renovation of Badagaon Pump Canal Water Distribution System, Situated in Block– Badagaon/Chirgaon, District – Jhansi **(as per BOQ)"**	77.36	1.55	120 दिन	2354.00	सिविल में "बी" श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी का रजिस्ट्रेशन

नोटः–
1. निविदा का विस्तृत विवरण ई–निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइड **http://etender.up.nic.in** सूचना विभाग की वेबसाइड **http://information.up.nic.in** तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइड **www.idup.gov.in** पर उपलब्ध है।
2. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत एवं अन्य जानकारी अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, झाँसी/अधिशासी अभियन्ता, डाल नहर खण्ड, झाँसी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
3. Slope of Canal should be maintain as per instruction and permanent mark should be engraved as per the instruction of Engineer in charge by using total station instrument, taking the reference from reach 0.0 km.

दूरभाष –9454414300, 1954414270

(विमल चन्द्र चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, झाँसी

Scanned with OKEN Scanner

Office of the Superintending Engineer
Tubewell Circle, Jhansi

-:: Short Term e-Tender Notice No. 02/TWCJ/SE/2026-27 ::-

-:: List of Important Dates ::-

1-	Name of Work-	1.	"Construction of CC Lining in Parichha Minor from 1st VRB to 3rd VRB of Badagaon Pump Canal, District–Jhansi under Project for Renovation of Badagaon Pump Canal Water Distribution System, Situated in Block– Badagaon/Chirgaon, District – Jhansi **(as per BOQ)"**		
		2.	Construction of CC Lining in Parichha Minor from 3rd VRB to 1.30 km of Badagaon Pump Canal, District–Jhansi under Project for Renovation of Badagaon Pump Canal Water Distribution System, Situated in Block– Badagaon/Chirgaon, District – Jhansi **(as per BOQ)"**		
2-	Completion Period for Construction-			:	120 Days
3-	Date of Issue of Notice inviting Bid-			:	27.04.2026
4-	Start Date and Time for downloading and uploading Bids online only	Date		:	05.05.2026
		Time		:	10.00 A.M.
5-	Dead line for receiving Bids online only	Date		:	14.05.2026
		Time		:	12.00 P.M.
6-	Date, Time and Place for opening Prequalification Bids	Date		:	14.05.2026
		Time		:	01.00 P.M.
		Place		:	Office of the Superintending Engineer Tubewell Circle, Jhansi
7-	Date, Time and Place for opening Technical Bids	Date		:	14.05.2026
		Time		:	02.00 P.M. Onward
		Place		:	Office of the Superintending Engineer Tubewell Circle, Jhansi
8-	Date, Time and Place for opening Financial Bids	Date		:	17.05.2026
		Time		:	2.00 P.M.
		Place		:	Office of the Superintending Engineer Tubewell Circle, Jhansi
9-	Last Date of Bid validity	Date		:	13.08.2026
10-	Office inviting bids	Place		:	Office of the Superintending Engineer Tubewell Circle, Jhansi
11-	Contact Person for any inquary			1	Superintending Engineer, Tubewell Circle, Jhansi Mobile No. 9454414300 email address:-twcjhansi@gmail.com
				2	Executive Engineer, Lift Canal Division, Jhansi Mobile No. 9454414270 email address:-eelcdjhs@gmail.com

(विमल चन्द्र चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, झाँसी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, झाँसी

–:: अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–02 / न0म0झाँ0 / अधी0अभि0 / झाँसी / 2026–27 ::–

–:: निविदा की शर्तें ::–

1. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइड **http://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ निर्माणकर्ता फर्म प्रमाण–पत्र अथवा सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र **(IDT-1)]** हैसियत प्रमाण–पत्र **(IDT-2)**, स्वघोषणा शपथ–पत्र **(IDT-3)**, के समस्त अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति वेबसाइड पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा बिड की विस्तृत शर्तें निविदा / बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
3. वेबसाइड पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, झाँसी / कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, डाल नहर खण्ड, झाँसी से ड्राइंग प्राप्त की जा सकती है।
4. फाइनेन्शियल बिडिंग परिणाम ऑनलाईन होगा।
5. निविदादाता को सिंचाई विभाग में निर्धारित अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
6. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
8. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र झाँसी होगा।
9. निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन जूडीशियन स्टाम्प पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर सहित निविदा की वैधता 3 माह तक बनाये रखने की घोषणा करनी होगी।
10. अनुबन्ध के समय नियमानुसार वॉछित जमानत राशि एवं स्टाम्प आदि जमा करने होंगे।
11. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
12. आयकर, लेबर सेस, रॉयल्टी एवं समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त कटौतियॉ नियमानुसार बीजक से की जायेगी एवं जी0एस0टी0 की कटौती विभागीय निर्गत सामग्री की कटौती के पश्चात प्राप्त धनराशि से की जायेगी। विभागीय निर्गत सामग्री के मूल्य पर जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की जायेगी।
13. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है, तो सकारण आदेश प्रख्यापित कर प्रस्ताव / अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
14. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाब / असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
15. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
16. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा / खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, झाँसी के सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी।
17. चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र व स्वघोषणा प्रमाण–पत्र के फर्जी व गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल काली सूची में दर्ज करा दिया जायेगा।
18. कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार कार्य की मात्राऐं घटायी व बढ़ायी जा सकती हैं। जिसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल को भली–भॉति देख लें।
20. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः सी–17 / प्रअपरिनि / निविदा प्रक्रिया / दिनॉक 04.02.2024 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी एन0एस0एस0 / एफ0डी0आर / बैंक गारण्टी निविदा जमानत धनराशि के अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम पर देय होगी। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. निविदादाता के द्वारा यदि कार्यों को ससमय पूर्ण नहीं किया जाता है तो उस दशा में उसके द्वारा किया गया कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा तथा इस स्थिति में उसके साथ गठित अनुबन्ध को निरस्त कर अन्तिमीकरण कर दिया जायेगा।
22. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

23. Work site पर कार्य के उपयोग के लिये पानी एवं समस्त आवश्यक Machinary/T&P की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म को स्वयं करनी होगी।
24. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/वांछित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
25. निविदादाता को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में भुगतान करना सम्भव नहीं होगा। भुगतान के पूर्व कार्यो/कार्य पर श्रमिकों का पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
26. ठेकेदार/फर्म Work site पर दिये गये कार्यों को कराते समय अन्य स्थापित संयंत्रों आदि को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा ऐसा होने पर क्षति पहुँचाये गये कार्यों को प्रतिपूर्ति उस कार्य को नया मानते हुये मूल्यांकन कर देय बीजकों से समायोजन कर लिया जायेगा। अतः इससे बचने के लिये पूरा समाधान कर निर्धारित मानकों के अनुसार उच्च श्रेणी का कार्य कराया जाये।
27. सभी कार्यों के प्रगति के समय अथवा पूर्ण होने पर टेक्नीकल ऑडिट द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। इस दौरान यदि मेटेरियल, वर्कमेनशिप में कोई दोष पाया जाता है तो ठेकेदार/फर्म को उसे ठीक कराना होगा। यदि निरीक्षण में कोई रिकवरी/दर में वसूली के निर्देश प्राप्त होते हैं तो ठेकेदार/फर्म को जमा कराना होगी।
28. यदि फर्म साझेदारी में है, तो प्रत्येक साझेदार का चरित्र प्रमाण–पत्र।
29. **फर्म पार्टनरशिप होने की दशा में हैसियत प्रमाण–पत्र फर्म के नाम से होना चाहिए।**
30. कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधिशासी अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मलित करते हुये) कार्यदायी खण्ड में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा।
31. निविदादाता की निविदा में दी गयी दरें बिना जी0एस0टी0 के डालनी होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
32. यदि नहर संचालन के कारण ठेकेदार/फर्म द्वारा कराये गये अथवा कराये जा रहे कार्य को कोई नुकसान पहुँचता है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
33. ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान नहर संचालन रोकने हेतु किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
34. कार्य स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा/जनसुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णरूप से ठेकेदार/फर्म की होगी।
35. कराये जाने वाले समस्त कार्य सिंचाई विभाग की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप कराये जायेंगे।
36. परियोजना की कार्य अवधि में अद्योहस्ताक्षरी एवं उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय यदि अतिरिक्त कार्य के निर्देश दिये जाते है तो फर्म द्वारा उक्त कार्य करने से मना नहीं किया जायेगा एवं फर्म को उक्त कार्य निविदा में दी गई दरो पर करना होगा।
37. विभिन्न कारणो से भुगतान में देरी के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं वरती जायेगी। कार्य समय से गुणवत्तापरक, निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जायेगा।
38. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/वांछित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
39. ज्वांइट वेंचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
40. शासनादेश संख्या–2136(1)/15–27–सी–9, दि0 17.08.2015 के अनुसार निविदादाता द्वारा अनुबंध गठन के बाद कोई कार्य सबलेट नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा–पत्र लिया जायेगा।
41. उपरोक्त कार्य समयबद्ध कार्य हैं। अतः न्यूनतम निविदादाता को कुल स्वीकृत निविदित लागत राशि का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी/परफारमेंस गारंटी के रूप में अधिशासी अभियन्ता, डाल नहर खण्ड, झाँसी के नाम बन्धक एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, झाँसी के यहाँ सूचित की जाने वाली दिनाँक तक जमा करनी होगी तथा तदोपरान्त सूचित तिथि को प्रातः 10:00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, झाँसी के कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबंध संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। न्यूनतम निविदादाता को "Letter of Acceptance" की सूचना ई–मेल के माध्यम से भी दी जायेगी। अतः निविदादाता वेबसाईट पर अपने मोबाईल नं0 तथा ई–मेल एड्रेस देना भी सुनिश्चित करेंगें।
42. संतोषजनक कार्य होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर अनुबंधकर्ता का कोई भी क्लेम/ब्याज मान्य नहीं होगा।
43. फर्म/ठेकेदार को कार्य सिंचाई विभाग एवं IS मानक के अनुसार ही कराना होगा।
44. कार्यो को समयबद्ध रूप से निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है कार्यो की प्रगति मानक से कम होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वह मात्र एक नोटिस देकर शेष कार्य अन्य संस्था से पूर्ण करा ले तथा अद्योहस्ताक्षरी को अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा इसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
45. अनुबन्ध के समय नियमानुसार वांछित जमानत राशि एवं स्टाम्प आदि जमा करने होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

46. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत एवं अन्य जानकारी कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, झाँसी/अधिशासी अभियन्ता, डाल नहर खण्ड, झाँसी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
47. निविदा डालने हेतु निविदादाता के स्वयं की डोंगल (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) यू0पी0 इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से पंजीकृत होना आवश्यक है।
48. फर्म/ठेकेदार द्वारा निविदा में डाली गयी दरें विभागीय दरों की तुलना में इतनी न्यूनतम न हों कि तकनीकी रूप से कार्य कराया जाना संभव न हो। यदि ऐसा होता है तो निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
49. प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा प्रकिया शुरू होने के पश्चात् ऑन-लाइन निविदा के सम्बंध में होने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धि-पत्र की जानकारी वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** से प्राप्त करता रहे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
50. निविदा में प्रतिशत के आधार पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
51. निविदा में दरें आईटमवार ही स्वीकार की जायेगी।
52. अपलोड किये गये सभी अभिलेखों की स्कैन्ड कापी स्पष्ट व पठनीय होनी चाहिए क्योंकि तकनीकी मूल्यांकन हेतु निविदादाता द्वारा ई-पोर्टल पर अपलोडेड अभिलेखों को डाउनलोड/प्रिन्ट किया जाना है। डाउनलोड अभिलेखें के प्रिन्ट पठनीय न होने पर निविदादाता की टेक्निकल बिल Disqualify/Unresponsive कर दी जायेगी तथा तत्सम्बन्धी किसी प्रकार की मॉग/क्लेम पर विचार नही किया जाएगा। उक्त की मूलप्रति न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात् उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
53. फर्म/ठेकेदार को चार्टेड एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित बिड कैपेसिटी संलग्न करना अनिवार्य है।
54. **निविदादाता को सफलतापूर्वक सम्पादित (पूर्ण) किये गये समान प्रकृति के कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।**

(अ) तीन समान प्रकृति के सिविल कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत कार्य की लागत से 40% से कम न हो।

अथवा

(ब) दो समान प्रकृति के सिविल कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत कार्य की लागत से 50% से कम न हो।

अथवा

(स) एक समान प्रकृति के सिविल कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत कार्य की लागत से 80% से कम न हो।

55. **प्री-क्वालिफिकेशन एवं फाइनेंशियल बिड को वेबसाइट पर अपलोड करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रो की सत्यापित स्कैन्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगी-**

I	निर्धारित श्रेणी का विभागीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
II	शासनादेश संख्याः 16/326/17-27-सिं.-3-08टी0/84, दिनॉक 21.04.2017 के प्रस्तर- 1.1 के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2), स्वघोषणा शपथ-पत्र (IDT-3)।
III	प्रपत्र सं0- 111 एवं 112
IV	यदि फर्म साझेदारी में है तो प्रत्येक साझेदार का चरित्र प्रमाण-पत्र।
V	फर्म पार्टनरशिप होने की दशा में हैसियत प्रमाण-पत्र फर्म के नाम से।
VI	जी0एस0टी0 नं0, पैन कार्ड एवं श्रम विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
VII	विगत 03 वर्षों में आयकर विभाग में दाखिल आयकर रिटर्न।
VIII	बिड कैपेसिटी।
IX	गत वर्ष की बैलेंस शीट।
X	फर्म/ठेकेदार को निर्गत किये गये अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति।
XI	फर्म/ठेकेदार के पास निविदा के कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी (पोकलेन, जे0सी0बी0, वाइब्रेटर आदि) का स्वामित्व अथवा किराए (लीज) पर होने का शपथ-पत्र।
XII	स्वयं के डोंगल (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) यू0पी0 इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से पंजीकृत प्रति।
XIII	निविदा एवं निविदा प्रपत्र के सेक्शन 1 में प्री-क्वालीफिकेशन डाक्यूमेंट के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों में वॉछित अन्य अभिलेख/प्रमाण-पत्र।

(विमल चन्द्र चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, झाँसी

Signature Not Verified
Digitally signed by VIMAL CHANDRA CHAUDHARY
Date: 2026.05.05 16:16:45 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner